

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3357 / विधि


सहरसा, दिनांक 22-11-2023

प्रतिलिपि:-

पवन कुमार पाण्डेय, पिता-श्री देव नारायण पाण्डेय / देव राम पाण्डेय, पिता-स्व० मुंशीलाल पाण्डेय, सा०-सिमराही दीनादास टेला वार्ड नं०-०१ थाना-राघोपुर, जिला-सुपौल को आयुक्त न्यायालय के भूमि विवाद अपील वाद सं०-३७/२०२३ में पारित आदेश की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-

आई०टी० असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय वेबसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

कोशी प्रमंडल, सहरसा

आदेश-पत्रक

(देवें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता०.....

जिला.....

केस का प्रकार.....

सं०.....

सन् १९.....

तक.....

आदेश की क्रम
संख्या
किस तारीख
१

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी,
तारीख-सहित
३**न्यायालय, आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा**

भूमि विवाद अपील वाद संख्या: 37/2023

पवन कुमार पाण्डेय एवं अन्य.....अपीलकर्ता

-बनाम-


विभीषण पाण्डेय..... रिसपोण्डेन्ट

-:: आदेश ::-


प्रस्तुत भूमि विवाद अपील वाद अपीलार्थी श्री पवन कुमार पाण्डेय, पिता-श्री देव नारायण पाण्डेय एवं देव नारायण पाण्डेय, पिता-स्व० कुंजी लाल पाण्डेय, सा०-सिमराही, दीना दास टोला, वार्ड नं०-०१, थाना-राघोपुर, जिला-सुपौल के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, वीरपुर के भूमि विवाद वाद सं०-०१/२०२२-२३ में दिनांक-२३.०२.२०२३ को पारित आदेश के विरुद्ध लाया गया है।

वाद की सुनवाई से उभय पक्ष के लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसा प्रतीत होता है कि वाद में उनकी कोई रुचि नहीं है। अतः Dismiss for default के कारण वाद को खरिज किया जाता है। इसी के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका संबंधित कार्यालय को वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।



प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।



प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा